करमा देवी बनाम पन्नालाल वगैरा
दावा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		19-9-19 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है~~। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-10-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
		3-10-19 वकील उभयपक्ष उप० । बहस हेतु पत्रावली दि० 11-10-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
		11-10-19 वकील उभयपक्ष उप० । बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन करने पर सहमत है। अत: बाद डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर तारीख रजू तारीख निर्णय

7/2017 30.1.2017 11.10.2019

करना देवी पत्नि बीरबल, जाटव निवासी सालोदा तह0गंगापुरसिटी——वादिया

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र कोरीलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 18 गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र रेवडया जाति बैरवा निवासी फरासपुर तहसील गंगापुरसिटी
3. लैण्ड होल्डर व उप पजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हुकमसिंह गुर्जर,एडवोकेट, वादिया की ओर से

श्री रामदयाल त्रिवेदी,एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम उदेईकलां में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1, 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 स्थित है जिसमें वादिया का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा है। भूमि का अभी रिकार्ड में विभाजन नहीं हुआ है। मौके पर पक्षकारान ने बहामी बंटवारा किया हुआ है। वादिया ने प्रतिवादीगण से कई बार तहसील में चलकर भूमि का बंटवारा करने हेतु कहा था परन्तु यही कहते रहे कि बंटवारा करवा लेंगे। दिनांक 1.1.2017 को जब वादिया अपनी भूमि की फसल संभाल रही थी तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कुछ अन्य लोगों के साथ आए और भूमि दिखाकर कहने लगे कि यह वह भूमि है जिसमें हमें प्लाटों की बसन्त बिहार कोलोनी काटनी है। वादिया ने मौके पर आपत्ती की तो प्रतिवादी आवेशित हो गया और कहा इस भूमि के सटवां मेरी भूमि ख0नं0 5398 रकबा 0.78 है0 है उस भूमि को मिलाकर मैंने बसन्त बिहार नाम से प्लाटिंग की स्कीम बनाई है, मैं मेरी मर्जी होगी वैसे काम करूंगा। भूमि का चुप्पचुप में बेच दूंगा। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि भूमि हाल ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 ग्राम उदेईकलां का वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाकर अलग अलग खाते कायम किए जावें व बटा नम्बर डालकर उसी अनुसार इन्द्राज किया जावे। बाद विभाजन प्रतिवादी नं0 1 को इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादिया के हिस्से में आई भूमि के उपयोग उपभोग में वादिया को कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावे व ऐसा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कोई कार्य नहीं करे जिससे वादिया को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न हो।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से इनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प उदेईकलां पर दि0 29.5.2017 को रखी गई। कैम्प में उपस्थित होने हेतु उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए।

राजस्व लोक अदालत कैम्प उदेईकलां पर वादिया करमा देवी व प्रतिवादी संख्या 2 बाबूलाल उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 धन्नालाल बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादिया करमा देवी एवं प्रतिवादी बाबूलाल ने राजस्व लोक अदालत शिविर उदेईकलां में उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर खाते अलग अलग कर दिए जावें।

वादिया का यह दावा दिनांक 29.5.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिनांक 11.6.2018 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्वान वकीलों को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान वकील प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं। फलस्वरूप नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 31.5.2018 को तैयार की गई विभाजन स्कीम, जो दिनांक 11.6.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है, के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 8105/5397 रकबा 0.07 है0 ग्राम उदेईकलां का वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. प्रतिवादी धन्नालाल पुत्र कोरीलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 18 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.34 है0 जिसे विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, ग्राम उदेईकलां रहेगी।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

2. वादिया करमा देवी पत्नी बीरबल जाति जाटव निवासी सालोदा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.17 है0 जिसे विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शाया गया है, ग्राम उदेईकलां रहेगी।

3. प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र रेवडया जाति रैगर निवासी फरासपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.21 है0 जिसे विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शाया गया है, ग्राम उदेईकलां एवं भूमि ख0नं0 8105/5397 रकबा 0.07 है0 ग्राम उदेईकलां कुल रकबा 0.28 है0 रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

करमा देवी पत्नि बीरबल, जाटव निवासी सालोदा तह0गंगापुरसिटी––वादिया

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र कोरीलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 18 गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र रेवडया जाति बैरवा निवासी फरासपुर तहसील गंगापुरसिटी
3. लैण्ड होल्डर व उप पजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 7/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हुक्मसिंह गुर्जर, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादिया का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 8105/5397 रकबा 0.07 है0 ग्राम उदेईकलां का वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. प्रतिवादी धन्नालाल पुत्र कोरीलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 18 गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.34 है0 जिसे विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, ग्राम उदेईकलां रहेगी।
2. वादिया करमा देवी पत्नी बीरबल जाति जाटव निवासी सालोदा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.17 है0 जिसे विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शाया गया है, ग्राम उदेईकलां रहेगी।
3. प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र रेवडया जाति रैगर निवासी फरासपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.21 है0 जिसे विभाजन स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शाया गया है, ग्राम उदेईकलां एवं भूमि ख0नं0 8105/5397 रकबा 0.07 है0 ग्राम उदेईकलां कुल रकबा 0.28 है0 रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.10.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैस
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.18 11:10:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: